संख्या-07/2022/डी0एफ0ए0/267898/001-38-6099-99-17-2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक-01 जून, 2022

विषय:- स्टार्टअप विलेज इण्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) के अन्तर्गत जनपद-सुल्तानपुर, चन्दौली, जालौन, हमीरपुर, बहराइच, बांदा, फतेहपुर, आजमगढ, वाराणसी, खीरी, बिजनौर एवं प्रयागराज के चयनित विकासखण्डों हेतु वित्तीय वर्ष-2021-22 में अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-422/2756/आजीविका/लेखा/2022-23, दि0-19.04.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-एस-11051/21/2015/एनआरएलएम (एसवीईपी)/यूपी(एसवीईपी_33), दि0-31-03-2022 द्वारा स्टार्टअप विलेज इन्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष-2021-22 में अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रू0-365.50 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(40 प्रतिशत) धनराशि रू0-243.66666 लाख बनती है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-पत्रांक-एस-11051/03/2021-22/एनआरएलएम (एसवीईपी)/यूपी/पार्ट-1 (एसवीईपी_35), दि0-31-03-2022 द्वारा स्टार्टअप विलेज इन्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष-2021-22 में अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रू0-79.10 लाख अवमुक्त किया गया है, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(40 प्रतिशत) धनराशि रू0-52.73334 लाख बनती है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप विलेज इन्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु कुल केन्द्रांश रू0-444.60 लाख अवमुक्त किया गया, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू0-296.40 लाख बनती है, अर्थात कुल धनरशि रू0-741.00 लाख निर्गत किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा अनुदान अन्तर्गत मात्र केन्द्रांश की धनराशि रू0-444.60 लाख निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- वित्तीय वर्ष-2022-23 हेतु अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना) (के0-60/रा0-40-के0+रा)-27-सब्सिडी में धनराशि रू0-48393.00 लाख तथा 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8901-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोगार योजना (जिला योजना)-42-अन्य व्यय में धनराशि रू0-32262.00 लाख का प्राविधान है।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप विलेज इन्टर प्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) में अवमुक्त कुल केन्द्रांश रू0-444.60 लाख (रूपये चार करोड चौवालीस लाख साठ हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1- आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3- धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4- धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5- स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्ययवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9- धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10- आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

11- भारत सरकार के पत्र दि0-31-03-2022 (02 पत्र) में अंकित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दि0-30 दिसम्बर, 2021 एवं अन्य- संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0-4,44,60,000 (रुपये चार करोड़ चौवालीस लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**13 **लेखा शीर्षक** 2501018000201 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या यू0ओ0-ई-2-15/दस-2022-23, दि0-25 मई, 2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।